द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों के अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की समय सारणी/आवश्यक दिशा–निर्देशः–

(Physical verification of the documents of Candidates in Round -2nd)

दिनांक 26.10.2025, 27.10.2025 एवं 28.10.2025 तक।

नोडल सेंटर–राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव चिकित्सालय, हैनीमेन चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ।

नोट– द्वितीय चक हेतु अनंतिम सीट आवंटन सूची का प्रकाशन दिनांक 24.10.2025 को किया जा चुका है। जिसमें समस्त अभ्यर्थी (पुरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियों सहित) अपने नीट रैंक के अनुसार निम्नलिखित निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार नोडल सेन्टर पर मूल अभिलेखों सहित भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित हों:–

क्र0सं0	दिनांक	समय	नीट रैंक
1	26.10.2025	प्रातः 09:00 से सायं 05:00 बजे तक	33,103 से 4,49,136 तक।
2	27.10.2025	प्रातः 09:00 से सायं 05:00 बजे तक	4,49,137 से 10,50,039 तक तथा उपरोक्त रैंक के शेष सभी छूटे हुये अभ्यर्थी।
3	28.10.2025	प्रातः 09:00 से सायं 05:00 बजे तक	10,50,040 से 13,19,203 तक तथा उपरोक्त रैंक के शेष सभी छूटे हुये अभ्यर्थी।

- **प्रथम चक की काउंसिलिंग प्रकिया के भौतिक सत्यापन के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों को पुनरावंटन के पश्चात् यदि कोई दूसरा आयुष कालेज (राजकीय/निजी क्षेत्र) आवंटित होता है, तो उन अभ्यर्थियों को अपने वर्तमान कालेज से मूल अभिलेख या मूल अभिलेख सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित नोडल सेन्टर–राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हैनीमेन चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। भौतिक सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी अपना वर्तमान एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे तथा दिनांक 30.10.2025 सायंकाल 05:00 बजे तक, आवंटित कालेज में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।**

- अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूल रुप में एवं स्वप्रमाणित एक–एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगाः–

1- NEET यू0जी0–2025 का प्रवेशपत्र ।
2- NEET यू0जी0–2025 का स्कोर कार्ड।
3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
4- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का अंकपत्र।
5- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र।
6- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
7- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंकपत्र।
8- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र।
9- सामान्य निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो (यदि लागू हो)।

CamScanner

10- राजकीय क्षेत्र के आयुष कालेजों में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण (यदि लागू हो) के दावे से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण–पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक के आश्रित/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाणपत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सत्यापित कराया जायेगा)। आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे। अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **स्टेट कोटे की सीट हेतु भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।**

11- निजी क्षेत्र की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीट हेतु सम्बन्धित प्रदेश से निर्गत प्रमाण–पत्रों के आधार पर शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा के न्यूनतम प्रतिशत/नीट 2025 परीक्षा के न्यूनतम पर परसेंटाइल अंको में छूट नियमानुसार अनुमन्य है। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) का प्रमाणपत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा **दिनांक–01.04.2025** अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।

13- एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जिसे अभ्यर्थी ने नीट यू0जी0 2025 की परीक्षा के समय अपलोड किया हो।

14- पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/पैनकार्ड/पासपोर्ट/अन्तिम महाविद्यालय से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र)। **जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधारकार्ड के साथ उपस्थित होंगे।**

15- **काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतानों के स्पष्ट प्रिन्टआउट।**

दिनांक: 24.10.2025

(प्रो0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक, होम्योपैथी,
उ0प्र0/सदस्य–सचिव।